सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति 2011

'ए' विंग, शास्त्री भवन

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड,

नई दिल्ली-110 001

विषय-सूची

1. प्रस्तावना
2. प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा कानून और प्रतिस्पर्धा नीति
3. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति का आमुख
4. एनसीपी के उद्देश्य
5. प्रतिस्पर्धा नीति के सिद्धांत
6. एनसीपी को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास (केन्द्र, राज्य उप-राज्य)
7. निरीक्षण पद्धति और प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन
8. विनियामक एजेंसियों के बीच समन्वय
9. एनसीपी कार्यान्वयन के लिए रणनीति
10. एनसीपी की समीक्षा

1. प्रस्तावना

1.1 भारत ने वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अत्यधिक आर्थिक सुधार शुरू किए गए और इनको लगातार लागू किया तथा पिछले दो दशकों के दौरान अभूतपूर्व विकास की शुरूआत हुई है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का विकास आगे बढ़ा है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधारों में तीव्र विकास एक प्रगतिशील उद्यमी कार्यबल, एक बड़ा और उभरता घरेलू बाजार और सही नीति के मिश्रण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के दबाव के बावजूद शानदार लचीलापन दर्शाया है तथा इसका उद्देश्य आने वाले पांच वर्षों में दोहरे अंकों की विकास दर हासिल करना है।

1.2 महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर सकते है, अन्य महत्वपूर्ण कारण जनसंख्यिकीय लाभांश पर आधारित है जो देश के पक्ष में है भारत में सक्रिय कार्मिकों और आने वाले कुछ दशकों तक उपभोक्ताओं की एक अनुकूल जनसंख्यिकीय स्थिति उत्पन्न रही है। यह इससे नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और एक तरफ जहां विकास और खपत के नए अवसर पैदा हो रहे है वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की मांग बढ़ रही है।

1.3 यद्यपि अवसर बहुत ज्यादा है, फिर भी चिन्ता के कई विषय भी है, जिनका सुस्थिर नीति के हस्तक्षेप से निपटान नहीं किया गया तो वे विकास की गति को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते है। अभी अवसंरचना के अभाव, बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार उचित कौशलों का विकास, अर्थव्यवस्था के दौरान मुद्रास्फीति दबाव को संतुलित करने तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि इसके लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके, विपणन और भण्डारण में सुधार के साथ-साथ कृषि विकास को आगे बढ़ाया जा सके और लघु और मध्यम उद्योगों सहित भारतीय उद्योग को सहायक संबद्धताओं सहित वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। सरकार ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला आरंभ की है।

1.4 विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादन इलेक्ट्रीसिटी, दूरसंचार, सड़क, यातायात, विमानन, पर्यटन इत्यादि में लागू की गई नीतियों ने अभी तक अत्यधिक लाभ पहुंचाया है। तथापि, इन सभी क्षेत्रों में प्रगति अभी तक असमान है और इसलिए इनका आम आदमी पर समुचित प्रभाव नहीं पड़ा है। इन सफलताओं का विश्लेषण करने में बाधाओं को समाप्त

करना और प्रतिस्पर्धा को लागू करना सहायक हो सकते है। इसने स्थिर, गतिशील और विनियोजित दक्षताओं सहित सभी लाभों ने प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है और इन सभी ने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता प्रदान की है। विभिन्न बाधाओं के दूर होने से अर्थव्यवस्था में अत्यधिक ऊर्जा और गतिशीलता का संचार करने में सहायता मिली है और इससे पिछले दो दशकों के दौरान 45 मिलियन नए उद्यमी सामने आए है। तथापि, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में सरकार की नीतियों और कानूनों के प्रतिस्पर्धा के विरूद्ध प्रभाव और कई अवशिष्ट बाधाएं बची हुई है और इनमें से अधिकतर को सुलझाया जाना है। योजना आयोग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना: नीति दस्तावेज: "समग्र विकास", (अध्याय-XI) के अंतर्गत की गई सिफारिशों जिन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद् **(एनडीसी)** ने दिसंबर, 2007 में अपनाया था, के आधार पर भारत सरकार ने इस नीति विवरण के माध्यम से महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति (**एनसीपी**) लागू करना चाहती है। इस नीति के लागू हो जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की सभी संभावनाओं को तीव्र, समग्र और सुस्थिर तरीके से प्राप्त करने के लिए समन्वय करने में सहायता मिलेगी।

2. प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा कानून और प्रतिस्पर्धा नीति

प्रतिस्पर्धा क्या है?

2.1 प्रतिस्पर्धा का अर्थ बाजार में एक ऐसी स्थिति से है जिसमें फर्म/कंपनियां अथवा विक्रेता अपने विशेष व्यापारिक उद्देश्य जैसे कि लाभ, बिक्री, बाजार भागीदारी इत्यादि को प्राप्त करने के लिए खरीददार को स्वतंत्र रूप से अपने पक्ष में करने का प्रयास करते है। कम दाम और अच्छी गुणवत्ता के सामान और सेवाओं की मांग की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिस्पर्धी व्यवसायों पर लागत कम करने, नव प्रवर्तन, प्रौद्योगिकी में निवेश और अच्छे प्रबंधकीय कार्यों तथा उत्पादकता बढाने का दबाव रहता है। इस प्रक्रिया से स्थिर, गतिशील और विनियोजित दक्षताओं को प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ाने और कीमत कम करने में सहायता मिलेगी।

2.2 महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिस्पर्धा स्वचालित नहीं है और एक उचित विनियामक तथा बाजार प्रतिबंध और विरूपण को कम करके तथा संबद्ध उत्पादक आदानों जैसे बाजार, पूंजी, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना सेवाएं और मानव पूंजी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित, सुरक्षा प्रदान करने और प्रणाली के माध्यम से पोषित करने की आवश्यकता है।

प्रतिस्पर्धा कानून और प्रतिस्पर्धा नीति क्या हैं?

2.3 प्रतिस्पर्धा नीति का अर्थ शासन के उपायों, नीतियों, विधेयकों और प्रतिस्पर्धा कानून सहित विनियामकों के एक समूह से है जिसका उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बाजार ढांचे और कंपनी के व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा नीति का एक उप समूह है। *प्रतिस्पर्धा* नीति और *कानून* की उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष, 2009 में छपी अपनी रिपोर्ट में पुराने एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के आधुनिक विकल्प तौर एक नया कानून बनाने की सिफारिश करते हुए कहा, ***"प्रतिस्पर्धा कानून, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति से निकल कर आना चाहिए जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सुधार के मूल उद्देश्यों को एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था निर्मित करके पूरा करना चाहिए।"***

2.4 विश्व व्यापार संगठन **("डब्ल्यूटीओ")** के अनुसार प्रतिस्पर्धा नीति की परिभाषा इस प्रकार है:

> ***"उपायों का एक पूरा समूह जो प्रतिस्पर्धी बाजार ढ़ांचे और व्यवहार को प्रोत्साहित करता हो, जिसमें कंपनियों के प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के निपटान करने का प्रावधान हो और जो एक विस्तृत प्रतिस्पर्धा कानून तक सीमित न हो",*** और इसी प्रकार विश्व बैंक प्रतिस्पर्धा नीति को इस प्रकार परिभाषित करता है:
>
> ***"यह सरकार के उपाय जो कंपनियों के व्यवहार और उद्योग के ढ़ांचे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है। एक उचित प्रतिस्पर्धा नीति में शामिल है:***
>
> ***(क) नीतियां जो स्थानीय और राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हो, और***
>
> ***(ख) प्रतिस्पर्धा कानून जिसे न्यास विरोधी और एकाधिकार विरोधी कानून कहा जा सकता है।"***

2.5 जहां प्रतिस्पर्धा नीति सरकारी एनटीटीज को नीति और कानूनों तथा बाजार को प्रभावित करने वाले विनियमों का विश्लेषण करने और राष्ट्रीय रणनीति उद्देश्यों जैसे सब को शामिल करते हुए आर्थिक विकास का उच्चतम सुस्थिर स्तर प्राप्त करने में सहायता, निवेश माहौल में सुधार और निवेश आकर्षित करने, उद्यमशीलता और रोजगार उत्पन्न करने, मुद्रास्फीति ताकतों को रोकने, आर्थिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने, न्याय समानता समग्रता के लिए नागरिकों के आर्थिक सुधारों की रक्षा करने और सुस्थिर आर्थिक और सामाजिक विकास और किराया वसूलने की प्रथाओं को रोक कर सुशासन में

सहायता करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, और प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार पर निषेध लगाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिस्पर्धा कानून, प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के प्रचलन को रोकने के लिए एक विनियामक साधन है जबकि प्रतिस्पर्धा नीति अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा संस्कृति विकसित करने के लिए एक अति सक्रिय और सकारात्मक प्रयास है। बाजार में प्रतिस्पर्धा ताकतों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून और प्रतिस्पर्धा नीति दोनों की आवश्यकता है क्योंकि ये एक-दूसरे के पूरक है। प्रतिस्पर्धा कानून बाजार में कार्य करने वाली एनटिटियों के प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को निषेध तथा दंडित करता है अर्थात् बाजार असफलताओं का निपटान करता है जबकि प्रतिस्पर्धा नीति सरकार की विभिन्न नीतियों और कानूनों से उपजे प्रतिस्पर्धा विरोधी परिणामों को सही करती है तथा प्रतिस्पर्धी बाजार विकसित करने में सहायता प्रदान करती है।

3. प्रतिस्पर्धा नीति का आधार

3.1 प्रतिस्पर्धा को एक उदार अर्थव्यवस्था में एक अनिवार्य स्थिति है। यह देश के वृहत आर्थिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक शक्तिशाली साधन है। इसे "आर्थिक" दक्षता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्द "आर्थिक" दक्षता में "विनियोजित", "उत्पादकता" और "गतिशील" दक्षताएं शामिल है, जिन्हें सरकार के संदर्भ में समाज के अधिकतम समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा नीति सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को एकीकृत करने और उसके पश्चात प्रतिस्पर्धा के लाभ उठाने का उद्देश्य रखती है। प्रतिस्पर्धा नीति का मुख्य आधार यह है कि सरकार को बाजार गतिविधियों को अब इसके सामाजिक और अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक स्तर से अधिक प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए।

3.2 ऐसा पाया गया है कि राज्य स्तर पर कुछ नीतियां और कानून भारत में बाजारों में कृत्रिम रूप से बंटवारा कर देते है। देश में न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ एक राष्ट्रीय बाजार का विकास प्रतिस्पर्धा के हित में होगा। इसमें सामान और सेवाओं के भौतिक संचलन से संबंधित कई बाधाएं और अंतर्राज्यीय व्यापार में करो तथा शुल्कों इत्यादि में अत्यधिक विभिन्नता हो सकती है। यह उन क्षेत्रों के मामलों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जो समावेशी विकास जैसे कृषि, ऊर्जा इत्यादि के लिए आवश्यक हो सकता है।

3.3 राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति (एनसीपी) उपलब्ध प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सुशासन को भी बढ़ावा देती तथा किराया वसूलने जैसी प्रथाओं से बचाती है। यह विभिन्न अन्य रणनीतिक राष्ट्रीय उद्देश्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एनसीपी राष्ट्र के सम्प्रभुता कार्यों जैसे रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मुद्रा, संप्रभु प्रकृति की अन्य गैर-आर्थिक राज्य गतिविधियों का सम्मान करती है तथा और बाजार को प्रभावित करने वाली आर्थिक विषयों के संबंध में प्रतिस्पर्धा संबंधी उपायों को बढावा देना चाहती है।

3.4 सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (**आईसीटी**) का प्रयोग सरकार के मुख्य कार्यों के साथ तेजी से जुड़ता जा रहा है। भारत सरकार ने यूनीक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (**यूआईडीएआई**) के माध्यम से सभी नागरिकों को एक यूनीक पहचान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरंभ किया है तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को इसके माध्यम से लागू करने का उद्देश्य है। आईसीटी का पारदर्शिता और एक-दूसरे पर निर्भरता बाजार में प्रतिस्पर्धा, जनता द्वारा सूचित और तेज निर्णय लेने की क्षमता और सरकार की दक्षतापूर्ण तथा कम लागत पर कल्याणकारी सेवाएं जैसे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण इत्यादि के स्तर को बहुत बढ़ा सकती है।

3.5 केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा सामान और सेवाओं को खरीदने में जाता है, प्रतिस्पर्धा नीति के सिद्धांतों को अपनाने से इन संसाधनों के कम लागत पर अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलेगी और किराया वसूलने जैसी प्रथाओं को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, इससे बाजारों के विकास और सुशासन को प्रोत्साहित करने में भी सहायता मिलेगी।

3.6 एनसीपी का उद्देश्य लचीला और समाज के कमजोर वर्ग अथवा क्षेत्रों अथवा पर्यावर्णीय संरक्षण की आवश्यकताओं तथा लोक नीति के अन्य रणनीतिक विषयों के लिए विशेष नीतियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त संवदेनशील होना है; परंतु इसके लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों को संतुलित बनाने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका उद्देश्य एक अहस्तक्षेपकारी बाजार निर्मित करना, पुनर्विनियमन को रोकना, विनिवेश, कल्याण को कम करना अथवा सामाजिक सेवाओं को कम करना नहीं है। इसका उद्देश्य सरकार को कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय बढ़ाने अथवा सरकार द्वारा निधि पोषण अथवा राज्य सहायता प्राप्त सामाजिक सेवाओं अथवा सरकारी स्वामित्व वाली व्यापारों को बनाए रखने से रोकने का नहीं है।

यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बाजार में अधिकतम विनियमन के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जब यह न्यायोचित हो। जहां यह एक तरफ प्रतिस्पर्धा नीति के उद्देश्यों और अन्य नीति विषयों जैसे विवेक सम्मत, पर्यवेक्षण, सेवा गुणवत्ता, सामाजिक सेवा प्रतिबद्धता, सुरक्षा इत्यादिक के बीच संतुलन कायम करना चाहती है वहीं दूसरी तरफ संबंधित प्राधिकारियों द्वारा केवल एक उचित और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की अपेक्षा रखती है।

4. एनसीपी के उद्देश्य

4.1 एनसीपी आर्थिक विकास का उच्चतम सुस्थिर स्तर, उद्यमशीलता, रोजगार, नागरिकों के लिए जीवन का उच्चतर स्तर, न्याय समानता के लिए आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा, समावेशी और सुस्थिर आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित और गलत प्रथाओं को रोककर सुशासन प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है।

4.2 एनसीपी का प्रयास होगा:

(i) प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का संरक्षण करना, प्रतिस्पर्धा की सुरक्षा करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को इस तरह बढ़ावा देना कि दक्षता अधिकतम हो तथा उपभोक्ता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो,

(ii) लोक अधिकारियों, व्यापार, कारोबार संगठनों, उपभोक्ता संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों इत्यादि शेयरधारकों में जागरूकता फैलाकर, प्रशिक्षण देकर तथा क्षमता बनाकर देश में एक सशक्त प्रतिस्पर्धा संस्कृति को प्रोत्साहित, सृजित करनी और बनाए रकना,

(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उप-राज्य प्राधिकारियों की नीतियों, कानूनों तथा प्रक्रियाओं के प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों के पालन को बाजार के सुचारु रूप से कार्य करने पर निर्भरता को बढ़ावा देना,

(iv) विनियमित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना तथा क्षेत्रगत विनियामकों तथा/अथवा प्रतिस्पर्धा विनियामकों के मध्य सहक्रियाशील संबंधों के लिए संस्थानों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा न्याय क्षेत्रों के बीच ग्रिड लॉक बनने से रोकना,

(v) एक राष्ट्रीय बाजार के लिए प्रत्यत्न करना क्योंकि विभाजित बाजार प्रतिस्पर्धा और विकास में बाधक हैं; और

(vi) यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं के पास विकल्पों के संबंध बेहतर लाभ और सामान और सेवाओं की प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता हो।

5. प्रतिस्पर्धा नीति के सिद्धांत

5.1 एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देने क लिए आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर एनसीपी के सिद्धांतों में शामिल होगा:

(i) **प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की प्रभावी रोकथाम:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) प्रतिस्पर्धी विरोधी अनुबंधों और संयोजनों जिनका प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, उन्हें निषेध करता है। यह एक उपक्रम द्वारा प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को भी रोकना चाहता है। प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए जो भारत के बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह अधिनियम सीसीआई को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु एकमात्र निकाय घोषित करता है। एनसीपी का कार्यान्वयन देश में प्रतिस्पर्धा संस्कृति को मजबूत बनाएगा और सीसीआई के प्रयासों का अनुपूरक सिद्धा होगा।

(ii) **नीति बनाने, प्रचालनों और विनियमन के बीच संस्थागत विभाजन** अर्थात् एक क्षेत्र के प्रचालन और विनियमन सरकार की उस शाखा से अलग होने चाहिए जो उस क्षेत्र के लिए नीति निर्माण करते है और उसके विधि बनने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) उचित बाजार मूल्य: बाजार विनियमन प्रक्रियाएं चाहे वो लोक प्राधिकारियों विनियामक निकायों अथवा स्व-विनियामक प्रणालियों के माध्यम से हो, उसे नियत आधारित, पारदर्शी, उचित तथा भेदभाव का आकलन रहित होना चाहिए। नीतियों तथा विनियमों की वांछनीय और अनुपातिकता का आकलन करने के लिए जनता के हित परीक्षण होने चाहिए और ये नियमित स्वतंत्र समीक्षा के अधीन होने चाहिए।

(iv) **'प्रतिस्पर्धा तटस्थता':** को इस प्रकार अपनाया जाए कि एक 'समान कार्य क्षेत्र' स्थापित हो जिसमें सरकारी व्यापक संस्थान और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

(v) उचित मूल्यनिर्धारण और समावेशी व्यवहार: सार्वजनिक यूटिलिटीज की विशेषताएं एकाधिकारात्मक विशेषताओं के साथ ओत-प्रोत हो जाए।

(vi) **'आवश्यक सुविधाओं'** : तक तृतीय पक्ष की पहुंच अर्थात् इसमें प्रमुख अवसंरचना तथा बौद्धिक संपदा अधिकार मालिकों को तृतीय पक्षों को अपने आवश्यक अवसंरचनाओं तथा प्लेटफार्मों (अर्थात् बिजली संचार, गैस, पाइप लाइन, रेलवे ट्रैक, बंदरगाहों आईटी उपकरणों इत्यादि) तक प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों के अनुसार विवेकपूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण निबंधन एवं शर्तों पर पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है।

(vii) **बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने वाली सार्वजनिक नीतियां** और कार्यक्रम अर्थात् सभी नीतियों और कानूनों को उनके निर्माण और कार्यान्वयन के समय प्रतिस्पर्धा की कसौटी का प्रयोग करना चाहिए।

(viii) **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में नीति लागू करने और उसके समर्थन के लिए आवश्यक है।

प्रतिस्पर्धा नीति के सिद्धांतों से विचलन

5.2 प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों से किसी प्रकार का भी विचलन आवश्यक सामाजिक अथवा अन्य राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए और इनके विषय में अच्छे से बताया जाए। विचलन को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए:

i. वांछनीय उद्देश्य अच्छी तरह परिभाषित हो,
ii. इनको पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से निर्धारित करना चाहिए,
iii. ये सार्वजनिक तथा निजी उपकर्मों के बीच भेदभाव ना करते हो,
iv. विचलने के तरीके, प्रकार और स्तर का न्यूनतम प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रभाव होना चाहिए।

5.3 प्रक्रिया में जवाबदेही होनी चाहिए ताकि विचलन स्वीकृत प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों का पालन किए बिना ना हो। एक सामान्य नियम के तौर पर, किसी भी विचलन को पूर्व निर्धारित अवधि के अनुसार अपवाद होना चाहिए। इसका अनवरतता को सीमित करने के लिए एक अंतर्निहित खंड होना चाहिए जब तक कि यह अनिवार्य न हो।

6. सरकार के प्रयास

केन्द्र सरकार के प्रयास

6.1 प्रतिस्पर्धा संस्कृति के निर्माण और सभी शेयरधारकों की भागीदारी से घरेलू बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढाने के लिए निम्नलिखित प्रयासों की अभिकल्पना की गई है:

i. इस नीति के निरीक्षण तथा कार्यान्वयन के समन्वय के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति परिषद् (एनसीपीसी) की स्थापना।
ii. ऐसी मौजूदा नीतियों, आदेशों तथा विनियमों जो प्रतिस्पर्धी को सीमित अथवा कम कर सकते हैं, की समीक्षा उनके प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाले प्रभावों को कम करने अथवा हटाने के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।
iii. प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित नीतियों, आदेशों अथवा विनियमों जिनके बारे में आने वाले पैराओं में बताया गया है, का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए।
iv. सभी विनियामक पद्धतियों में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को एकीकृत करें तथा जैसे ही विनियमित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रभावी हो जाए तो उस पद्धति में एक प्रगामी तरीके से क्रमिक गिरावट सुनिश्चित करें।
v. प्रतिस्पर्धा और विनियामक प्राधिकारियों को प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने देने के लिए कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करें।
vi. प्रभावी प्रतिस्पर्धा के हित में प्रमुख उपक्रमों के स्वामित्व वाली अवसंरचना क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं तक तृतीय पक्ष की विवेकपूर्ण और उचित सहमत शर्तों पर पहुंच सुनिश्चित करें।
vii. बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार अनुबंधों में प्रतिस्पर्धा नीति संबंधी प्रावधान शामिल करे जिससे प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार और सीमा के पार के संभावित प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को रोकने में सहायता मिलेगी।

viii. सभी मंत्रालयों/ विभागों को उनके द्वारा लागू किए जाने वाली विभिन्न नीतियों आदेशों, विनियमों/नियमों का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करे। एक विभाग/मंत्रालय में स्थापित आंतरिक प्रकोष्ठों की अध्यक्षता उस विभाग/मंत्रालय में स्थापित स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इन आंतरिक प्रकोष्ठों का उत्तरदायित्व: (क) उस विभाग/मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाली नीतियों और आदेशों का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करना (ख) प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों के साथ सार्वजनिक खरीद विनियमों तथा अभ्यासों को संबंध करना, होना चाहिए।

ix. एनसीपी के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाले सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसे सुधार लागू करने के लिए एक उचित प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए।

राज्य सरकार के प्रयास

6.2 आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अधूरी है जब तक कि यह राज्य सरकार के स्तर तक नहीं पहुंच जाती। राज्य विधि निर्माण, विनियमन, नीतियों तथा व्यवहारों के आर्थिक क्षेत्र जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोक अथवा प्रभावित कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रयासों की अभिकल्पना की गई हैं:

i. राज्य सरकारें अपनी मौजूदा तथा प्रस्तावित नीतियों, कानूनों तथा विनियमों की प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से समीक्षा भी कर सकती हैं तथा प्रस्तावित नीतियों, कानूनों तथा विनियमों का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन भी कर सकती है।

ii. राज्य सरकारें अपने सभी विभागों/मंत्रालयों को उनके द्वारा लागू किए जाने वाले अध्यादेशों, नीतियों, विनियमों/नियमों का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए इसी तरह के आंतरिक प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कह सकती हैं।

उप-राज्य प्राधिकरण के प्रयास

6.3 एक उप-राज्य प्राधिकरण सरकार का विस्तारित अंग होता है। इसके वृहत निहितार्थ हैं और इसमें नगरपालिकाएं, पंचायत, हाउसिंग बोर्ड, विश्व विद्यालय व्यावसायिक

संस्थाएं, निगम इत्यादि शामिल है जिनका गठन सामानों के उत्पादन आपूर्ति अथवा वितरण तथा सेवाओं के प्रावधानों में निहित अध्यादेशों द्वारा किया गया है। राज्य सरकारें अपने उप-राज्य प्राधिकरणों की इसी तरह का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। निम्नलिखित प्रयासों की अभिकल्पना की गई है:

i. उप-राज्य प्राधिकरणओं द्वारा प्रशासित कानूनों, विनियमों और नीतियों की समीक्षा की जा सकती हैं ताकि इनको एनसीपी के सिद्धांतों के अनुसार बनाया जा सके।
ii. भविष्य में बनाए जाने वाले कानूनों, विनियमों तथा नीतियों को प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जा सकता है।
iii. राज्य सरकारें अपने सभी उप-राज्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा लागू किए जाने वाले कानूनों, विनियमों तथा नीतियों के प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए इसी तरह के आंतरिक प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

7. निरीक्षण प्रणाली

एनसीपी के कार्यान्वयन निरीक्षण के संस्थागत प्रबंध: सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने के लिए पहले ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण की स्थापना कर दी है। इनका उद्देश्य देश में प्रतिस्पर्धा सिद्धातों को शामिल करना, केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सरकारी नीति निर्माण में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिस्पर्धी बाजार की भूमिका को बढावा तथा प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देना है।

7.1 एनसीपीसी *अन्य बातों के साथ-साथ*:

i. केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी विभागों/मंत्रालयों में स्थापित आंतरिक प्रकेष्ठों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली नीतियों, कानूनों, विनियमों, व्यवहारों का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन को सुगम बनाएगा तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करेगा।
ii. एनसीपीसी वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों को ध्यान में रखकर भारतीय संदर्भ में प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक नियम पुस्तिका तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा।

iii. एनसीपी के कार्यान्वयन में उपभोक्ता आंदोलन को उनकी क्षमता बढ़ाकर तथा उनका संसाधन आधार मजबूत करके प्रोत्साहित करेगा।

iv. केन्द्र सरकार, राज्य, उप-राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, व्यापार तथा सहकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढाने के लिए प्रतिस्पर्धा नीति सिद्धांतों के निर्माण, अंगीकरण और अत्यधिक प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देगा।

v. पारदर्शी प्रापण सिद्धांतों के अनुसार विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्रागत अध्ययन अथवा समीक्षा करना अथवा करवाना और उससे संबंधित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली नीतियों तथा व्यवहारों को पोषित करने की सिफारिश करना।

vi. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति के संदर्भ सरकारी विभागों, मंत्रालयों और अन्य शेयरधारकों की क्षमता निर्माण के उपाय करना।

vii. एक प्रोत्साहन योजना बनाना जिसके अंतर्गत ऐसी राज्य सरकारों को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा जो अपनी नीतियों और कानूनों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति के सिद्धांतों को संबद्ध करने में प्रगति करते हैं।

viii. सार्वजनिक जागरूकता फैलाने के उपाय करना जैसे कि मौजूदा पाठ्यक्रम में प्रतिस्पर्धा नीति और कानूनों को शामिल करना और विभिन्न शेयरधारों के बीच उपभोक्ता संगठनों सहित एनसीपी के संदर्भ में समर्थन तैयार करना।

ix. अपने कार्यक्रमों की प्रगति की वार्षिक आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय **(एमसीए)** के माध्यम से मंत्रिमंडल को रिपोर्ट करना। इस रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

7.2 प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन: ऐसी अभिकल्पना की गई है कि एनसीपीसी प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करेगी कि उनके द्वारा लागू किए जाने वाले मौजूदा अथवा प्रस्तावित कानूनों, विनियमों अथवा नीतियों के किसी प्रावधान से प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रभाव तो नहीं पड़ता। प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन करते समय मंत्रालयों और विभागों को अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए:

(क) आपूर्तिकर्ताओं की संख्या अथवा रेंज को सीमित करना

ऐसा मामला तभी हो सकता है जब:

i. एक आपूर्तिकर्ता को सामान अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष अधिकार दिए जाते है।
ii. प्रचालन की आवश्यकता के रूप में लाइसेंस, परमिट अथवा प्राधिकार स्थापित करना। संभावित प्रवेश को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक बाधा उत्पन्न करना, प्रवेश की लागत को अत्यधिक बढाना अथवा आपूर्तिकर्ता के लिए छोड़ने की लागत बढ़ाना।
iii. बाजार में प्रवेश करने के अनुमति दी गई फर्मों की संख्या को सीमित करना।
iv. एक सामान अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के कुछ इस प्रकार की क्षमता को सीमित करना
v. इसमें विनियमों अथवा सीमा शुल्क के आधार पर बाधाएं होना जो उस बाजार (बाजारों) में महिलाओं को अपना व्यापार आरंभ करने अथवा मौजूदा व्यापार विस्तार करने से रोकती है अथवा उनके लिए व्यापार करना कठिन बनाती हैं।
vi. कंपनियों की सामान, सेवाओं अथवा मजदूरों की आपूर्ति करने अथवा पूंजी निवेश की क्षमता के लिए भौगोलिक बाधा उत्पन्न करना।

(ख) आपूर्तिकर्ता की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित करना

ऐसा मामला तभी हो सकता है जब:

i. विक्रताओं की सेवाओं अथवा सामान के मूल्य निर्धारित करने की योग्यता की सीमित करता है।
ii. आपूर्तिकर्ता की सामान अथवा सेवाओं का विज्ञापन करने अथवा बाजार में उतारने की स्वतंत्रता को सीमित करता है।
iii. मूल्यांकित बाजार में व्यापार करने वाली सरकारी कंपनियों को लाभ पहुंचाना अथवा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना।

iv. उत्पाद की गुणवत्ता के लिए ऐसे मानक निर्धारित करना जो अन्यों की अपेक्षा कुछ आपूर्तिकर्ताओं को लाभ प्रदान करते हो अथवा ऐसे स्तर से ऊपर हो कुछ जागरूक उपभोक्ताओं का चयन स्तर हो सकता था।
v. कुछ आश्रित कंपनियों को लाभ की स्थिति प्रदान करने के लिए कुछ प्रदेशों में यातायात अथवा अवसंरचना का कम विकास होने देना।
vi. सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और समानता को सीमित करा।
vii. अन्यों की अपेक्षा कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए उत्पादन की लागत को अत्यधिक बढ़ाना विशेषकर नए प्रवेशकों की तुलना में आश्रितों से अलग का व्यवहार करना।

(ग) आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहन को कम करना

ऐसा मामला तभी हो सकता है जब:

i. आत्म-विनियामक अथवा सह-विनियामक पद्धति बनाई जाए।
ii. आपूर्तिकर्ताओं के कारोबार, मूल्यों, बिक्री अथवा लागत की प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं को बढ़ावा देना अथवा आवश्यक बनाना।
iii. किसी विशेष उद्योग अथवा आपूर्तिकर्ता समूह को सामान्य प्रतिस्पर्धा कानूनों से छूट प्रदान करना।

(घ) विनियामक और नीति बाधाएं

ऐसा मामला तभी हो सकता है जब:

i. जलिट, महंगे अथवा अधिक समय लगाने वाले विनियम अथवा - बार-बार परिवर्तन के माध्यम से 'नीति अनिश्चितता' का वातावरण बनाए जाए।
ii. कानूनों अथवा विनियमों के असमान प्रयोग की अनुमति देना।

(ङ) उपभोक्ताओं के सामने मौजूद विकल्पों अथवा सूचना को सीमित करना

ऐसा मामला तब हो सकता है जब:

i. उपभोक्ताओं की खरीदने के बारे में निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करना।

ii. परिवर्तित होने वाले आपूर्तिकर्ताओं की स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों को बढ़ाकर सेवाओं और सामान के आपूर्किकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच गतिशीलता को कम किया जाए।

iii. खरीददारों द्वारा प्रभावी तरीके से खरीददारी करने के लिए आवश्यक मूल सूचना को परिवर्तित करना।

7.3 एनडीसी द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज की सिफारिश के अनुसार एनसीपीसी को अपने कार्यक्षेत्र में स्वागत होना चाहिए तथा इसका अध्यक्ष कोई गैर-सरकारी विशिष्ट होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एनसीपीसी को लिपिकीय सहायता तथा पर्याप्त निधि प्रदान की जानी चाहिए। यह परिषद् सरकार में अच्छी स्थिति में होनी चाहिए यह एनसीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से अदा कर सकें।

7.4 एनसीपीसी का कार्य एनसीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी को सुगम बनाना होगा ताकि कानूनों तथा नीतियों की समीक्षा की जा सके और प्रस्तावित तथा मौजूदा दोनों नीतियों तथा कानूनों का प्रतिस्पर्धा प्रभाव मूल्यांकन किया जा सके और नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहन जारी करने की सिफारिश की जा सके। जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अपनाते समय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति के सिद्धांतों के साथ अपनी नीतियों और कानूनों को संबद्ध करने वाली राज्य सरकारों के लिए वित्तीय अनुदानों के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना चलाई जानी चाहिए। अनुदानों को एनसीपीसी से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही जारी करना चाहिए।

8. विनियामकों के बीच समन्वय

8.1 प्रतिस्पर्धा कानून संसाधन के सक्षम आबंटन तथा उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है जो विकासशील देशों में विरले ही देखने को मिलता है। एक प्रतिस्पर्धा कानून बाजार में प्रवेस की बाधों को कम करता है और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार माहौल को अनुकूल बनाता है। यह भी समझना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष मुद्दे तथा समस्याएं होती है और आरंभिक स्तर पर क्षेत्र विशेष समस्याओं/मुद्दों का सक्षम प्रबंधन बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से आवश्यक हैं।

8.2 उन क्षेत्रों में विनियमन को उचित ठहराया जा सकता है अथवा आवश्यक समझा जा सकता है जिसमें स्वाभाविक एकाधिकार तथा औद्योगिक नेटवर्क हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त जिसकी एक वैश्विक सेवा प्रतिबद्धता होती है। तथापि, वहां विनियमन की आवश्यकता नहीं हो सकती है जहां ऐसी कोई भी विशेषता नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा ताकतों के लिए छोड़ देना चाहिए। यहां तक की जिन क्षेत्रों में विनियमन की आवश्यकता होती है वे भी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होने चाहिए अथवा प्रतिस्पर्दा के अनुरूप होने चाहिए। विनियमन का एक उद्देश्य, क्षेत्रागत विनियामक कानून की स्थापना, जहां तक संभव हो बाजार में एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना होना चाहिए। जैसे-जैसे विनियमित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती हैं, विनियमन को कम होते जाना चाहिए और अंत में आर्थिक विनियमन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, विनियमित क्षेत्र के लिए विचारित उचित समय समा के कुछ निश्चित खंडों पर सभी आर्थिक विनियामकों में विचार किया जाना चाहिए ताकि एक बार प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के बाद उद्योग को बाजार ताकतों के भरोसे छोड़ा जा सके। तथापि, सभी प्रकार के व्यवहार को प्रतिस्पर्धा विनियामक द्वारा देखा जाना चाहिए।

8.3 एक क्षेत्रागत विनियामक का उद्देश्य वहनीय दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना है परंतु प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को रोकना इसकी कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता पर नहीं हो सकते है अथवा विनियामक को प्रशासित करने वाले कानून इस विषय पर मौन हो सकते हैं। इसके अलावा, एक क्षेत्रागत विनियामक के पास पूरी अर्थव्यवस्था का एक समग्र दृष्टिकोण नहीं हो और उसके द्वारा जांचने के मानक अन्य क्षेत्र के विनियामकों द्वारा प्रयुक्त मानकों से अलग भी हो सकते हैं। अन्य शब्दों में, प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों के विषय में विभिन्न क्षेत्रों में निरंतरता के मूल अभाव की संभावना है। दूसरी ओर, सीसीआई जिससे प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में दक्षता, विशेषज्ञता और क्षमता विकसित करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक समान प्रतिस्पर्धा सिद्धांत लागू करने की योग्यता रखता है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा अधिनियम का प्रवर्तन और उल्लंघन पर दंडित करना, सीसीआई का विशेष अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य स्थिति में आर्थिक दक्षता के लिए सामान्य सिद्धांतों उसके अधिकार क्षेत्र में होगें। जो इनको सर्वोत्तम तथा अत्यधिक व्यावसायिक तरीके से लागू कर सकेगा।

8.4 सीसीआई तथा क्षेत्रागत विनियमों के मध्य संघर्ष वैधानिक अस्पष्टता अथवा अधिकार क्षेत्र उल्लंघन या विधायी भूल के कारण हो सकता है। इसमें शामिल नौकरशाही का विश्लेषणात्मक पूर्वाग्रह स्थिति को और बिगड़ सकता है दोनों के बीच संघर्ष बाजार के खिलाड़ियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता हैं और स्पष्ट तौर पर कानूनी विवाचक इसे बढ़ा सकेत है। संघर्ष से उपभोक्ताओं का अहित होना निश्चित है और उनके बीच बनने वाली अनिश्चितता की स्थिति निवेश के जोखिम को बढ़ा सकती है। विधि न्यायालय द्वारा झगड़े का समाधान शायद समय साध्य हो सकता है इसलिए यह केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए।

8.5 संक्षेप में प्रतिस्पर्धा विनियामक और क क्षेत्रागत विनियामक के मध्य संघर्ष के एक ढांचे से निम्नलिखित लाभ मिलने चाहिए:

i. संबंधित मुद्दों को उचित रूप से पहचानना।
ii. विभिन्न विषयों का उचित फोरम पर उठाया जाना सुनिश्चित करना तथा अतिशीघ्र सुधारात्मक कार्य करना।
iii. प्रयासों के प्रतिलिप्यकरण से बचने के लिए सही ढांचा तैयार करना।
iv. विनियामकों के संसाधनों का संरक्षण करना तथा इनके कार्य क्षेत्र को केवल प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों तक सीमित करना; और
v. प्रतिस्पर्धा विनियामक तथा क्षेत्रागत विनियामक दोनों स्तरों पर क्षमता निर्माण तथा विशेषज्ञता विकसित करने को बढ़ाना देना।

8.6 सीसीआई और क्षेत्रागत विनियामकों को आपस में सहयोग करने और विचारों के नियमित आदान-प्रदान के लिए एक फोरम स्थापित करने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में एनडीसी के संकल्प के अनुसार प्रतिस्पर्धा आयोग और क्षेत्रागत विनियामकों के मध्य समन्वय के लिए एक औपचारिक प्रणाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा आयोग और क्षेत्रागत विनियामकों के मध्य समन्वय को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और संबंधित क्षेत्रागत कानूनों में उचित प्रावधानों के माध्यम से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

9. एनसीपी कार्यान्वयन के लिए रणनीति:

इस नीति दस्तावेज में प्रस्तावित प्रयासों का समय-सीमा और उपलब्धियों के साथ सरकार तथा अन्य शेयरधारकों द्वारा एनसीपी के अपनाएं जाने के बारह महीनों के अंदर

निर्माण और कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें अन्य बातों के साथ एनसीपी का अनुमोदन, एनसीपीसी की स्थापना, केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों तथा मंत्रालयों में आंतरिक प्रकोष्ठों का गठन, एक प्रोत्साहन की तैयारी और इस नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के सभी कदम शामिल होंगे।

10. एनसीपी की समीक्षा:

i. एनसीपी का इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष में एक समीक्षा की जाएगी और यदि स्पष्ट परिणामों के साथ अत्यधिक सुधारों की आवश्यकता होगी तब एनसीपी को अनावश्यक घोषित कर दिया जाएगा।

ii. एनसीपीसी द्वारा किए गए कार्यों पर वार्षिक आधार पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और वह सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगी।

iii. केन्द्र सरकार वे विभागों/मंत्रालयों और अन्य राज्य/उप-राज्य निकायों द्वारा अपने कानूनों, विनियमों, नीतियों और व्यवहारों की समीक्षा के बारे में सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट की भी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।